कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झारड़ा जिला करौली का स्थानान्तरण राउमावि मोगापुरा जिला करौली किया गया था जिसके विरूद्ध अशोक कुमार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 667/2021 अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 667/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2021 द्वारा अपीलार्थी अशोक कुमार को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 3 सप्ताह में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी पत्नी के अस्थमेटिक रोग से पीड़ित होने व प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन एसीबीईओ–I, हिण्डोन करौली/राउमावि तालचीड़ी जिला दौसा/राउमावि विशनपुरा जिला करौली/राउमावि गढी का गांव जिला करौली में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार पति–पत्नी/माता–पिता/पुत्र–पुत्री अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी को करौली जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी अन्य जिले या दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए किसी भी विद्यालय/कार्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। तदनुसार अपीलार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/अशोक कुमार/667/2021/201 दिनांक: 26.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक करौली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री अशोक कुमार, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि मोगापुरा जिला करौली को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned with CamScanner